भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2887
दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राज्य और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि

†2887. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2024 के दौरान इस राज्यों में आपदाओं का बाद स्थिति का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी दल भेजे जाने के बाद राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) से 14 राज्यों को 2,209 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से 8 राज्यों को 720 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2024 के दौरान एसडीएमएफ और एनडीएमएफ से जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, क्षति का आकलन, राहत और शमन सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

लोक सभा अता. प्र.स. 2887 दिनांक 18.03.2025

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) का प्रावधान किया था और इसके तहत वर्ष 2025-26 तक की पंचाट अवधि के लिए 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसी प्रकार, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का भी प्रावधान किया और इसके तहत शमन उपायों के उद्देश्य के लिए 32,031 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश क्रमशः दिनांक 14.01.2022 और दिनांक 28.02.2022 को तैयार किए थे। यह दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार ने एनडीएमएफ के तहत सहायता के लिए निम्नलिखित शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी है:-

(i) सात (07) शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएँ, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय 3075.65 करोड़ रुपये है। एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 2482.62 करोड़ रुपये है और अब तक इन शहरों को 709.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ii) चार (04) राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 150 करोड़ रुपये है। एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 135 करोड़ रुपये है और अब तक 10.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(iii) पंद्रह (15) राज्यों में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 1000 करोड़ रुपये है। इसमें एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 900 करोड़ रुपये है। ये 15 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं।

(iv) बारह (12) सूखा प्रभावित राज्यों को उत्प्रेरक सहायता, जिसका कुल व्यय 2022.16 करोड़ रुपये है, जिसमें से एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 1200 करोड़ रुपये है। ये 12 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं।

(v) दस (10) राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन के लिए बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 186.78 करोड़ रुपये है। बिजली सुरक्षा के लिए एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 121.14 करोड़ रुपये है।

(vi) उन्नीस (19) राज्यों के 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में क्रियान्वयन के लिए वन अग्नि जोखिम प्रबंधन हेतु शमन योजना, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 818.92 करोड़ रुपये है, जिसके अंतर्गत एनडीएमएफ और एनडीआरएफ से केंद्रीय हिस्सा 690.63 करोड़ रुपये है। इस योजना के लिए पहचाने गए राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड हैं।

2024-25 के दौरान (10.03.2025 तक) एसडीएमएफ/ एनडीएमएफ के तहत राज्यों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

******

लोक सभा अता. प्र.स. 2887, दिनांक 18.03.2025

अनुलग्नक

2024-2025 (10.03.2025 तक) के दौरान राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)/ राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से धनराशि का आवंटन और रिलीज का विवरण।

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	एसडीएमएफ का आवंटन			एसडीएमएफ से जारी धनराशि	एनडीएमएफ से जारी धनराशि	
	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल योग		शहरी बाढ़ शमन परियोजना	ग्लोफ़ (GLOF)
आंध्र प्रदेश	259.00	86.20	345.20	481.80	--	--
अरुणाचल प्रदेश	57.80	6.40	64.20	--	--	1.83
असम	179.00	19.80	198.80	--	--	--
बिहार	327.80	109.20	437.00	156.10	--	--
छत्तीसगढ़	100.00	33.40	133.40	--	--	--
गोवा	2.60	0.80	3.40	2.40	--	--
गुजरात	306.60	102.20	408.80	--	73.17	--
हरियाणा	113.80	37.80	151.60	--	--	--
हिमाचल प्रदेश	94.60	10.40	105.00	184.65	--	--
झारखंड	131.60	43.80	175.40	--	--	--
कर्नाटक	183.00	61.00	244.00	--	71.61	--
केरल	72.80	24.20	97.00	71.10	--	--
मध्य प्रदेश	421.60	140.40	562.00	411.50	--	--
महाराष्ट्र	746.00	248.60	994.60	--	225.00	--
मणिपुर	10.00	1.00	11.00	--	--	--
मेघालय	15.20	1.60	16.80	--	--	--
मिजोरम	10.80	1.20	12.00	10.80	--	--
नागालैंड	9.60	1.00	10.60	9.60	--	--
उड़ीसा	371.40	123.80	495.20	371.40	--	--
पंजाब	114.60	38.20	152.80	111.90	--	--
राजस्थान	343.00	114.20	457.20	343.00	--	--
सिक्किम	11.80	1.20	13.00	5.90	--	8.35
तमिलनाडु	236.20	78.80	315.00	225.00	114.75	--
तेलंगाना	104.20	34.60	138.80	--	75.00	--
त्रिपुरा	15.80	1.80	17.60	--	--	--
उत्तर प्रदेश	447.80	149.20	597.00	223.90	--	--
उत्तराखंड	217.00	24.00	241.00	--	--	--
पश्चिम बंगाल	234.00	78.00	312.00	234.00	150.00	--
कुल योग	**5137.60**	**1572.80**	**6710.40**	**2843.05**	**709.53**	**10.18**

नोट: एस.डी.एम.एफ. में केन्द्र के हिस्से की किस्त एस.डी.एम.एफ. के गठन आदि की सूचना प्रस्तुत करने के अधीन राज्य सरकार को जारी की जाती है।

******